प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

युगल पीठ - माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक-178 /2007

अपीलार्थी- **राम कुमार**

बनाम

प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सही /-
राधेश्याम शर्मा
न्यायाधीश

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ ।

सही/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

दिनांक 17.07.2012 को निर्णय उद्धघोषित किये जाने हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

युगल पीठ- माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधेश्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक-178/2007

अपीलार्थी- राम कुमार, आत्मज मल्लूराम, जाति शिकारी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी-मटियारी, थाना सीपत, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़

बनाम

प्रत्यर्थी- छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से:-श्री राम कुमार तिवारी,अधिवक्ता

राज्य / प्रत्यर्थी की ओर से:- श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 17 जुलाई 2012 को घोषित)

1. यह दाण्डिक अपील, नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी) बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक-384 /2005 में पारित निर्णय दिनांक 22.1.2007 के विरुद्ध निर्देशित है। इस आक्षेपित निर्णय के द्वारा अभियुक्त/ अपीलार्थी राम कुमार को भारतीय दंड संहिता

की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास एवं 200/- रुपये जुर्माने का दंडादेश दिया गया है। जुर्माने के व्यतिक्रम पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है:

अपीलार्थी ने बद्रीकाबाई से 'चूड़ी' प्रथा के माध्यम से विवाह किया था। बद्रीकाबाई, मृतक चंदलाल की बहन है। श्रीमती सुमित्राबाई अपीलार्थी की पहली पत्नी है और वह अपीलार्थी के साथ ही रहती थी। अपीलार्थी ने उस घर में जिसमें बद्रीकाबाई रहती थी, ताला लगा दिया था। बद्रीकाबाई ने अपने और अपीलार्थी के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई थी। दिनांक 19-08-2005 को लगभग शाम 5 बजे, बद्रीकाबाई ने अपने घर का ताला खोला और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। अपीलार्थी वहाँ आया और उसने बद्रीकाबाई तथा मृतक के साथ गाली-गलौज किया। उसी दिन, रात लगभग 9:20 बजे, मृतक और उसकी पत्नी रामबती (अ.सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5) तथा श्यामलाल (अ.सा-6), मृतक के घर पर रात का भोजन करने के बाद घर से बाहर निकल रहे थे। उसी समय, अपीलार्थी ने अपनी भरमार बंदूक से मृतक पर गोली चला दी। अपीलार्थी द्वारा बंदूक से गोली चलाये जाने के कारण मृतक नीचे गिर गया। मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीपत ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। भागवत प्रसाद (अ.सा-5) ने थाना सीपत में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-8) दर्ज कराया। मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-7) भी थाना सीपत में दर्ज कराया गया। विवेचना अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीपत पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी-12A) दिया और मृतक के शव की मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-11) तैयार की। शव को प्रदर्श पी-15A के माध्यम से शव-परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीपत भेजा गया। डॉ. राजेश कुमार (अ.सा-13) ने शव-परीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-16) दिया, जिसमें उन्होंने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण आघात (शॉक) और रक्तस्राव था, जो सीने और पेट में बंदूक की गोली जैसी अग्न्यायुध से करित चोट के परिणामस्वरूप हुई थी, मृत्यु मानव-वध प्रकृति की थी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की विवेचना में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अपीलार्थी का **मेमोरेंडम कथन** प्रदर्श पी-1 के रूप में अभिलिखित किया गया और उसकी निशानदेही पर, उसके पास से एक **भरमार बंदूक और** उसकी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जब्त की गई। घटनास्थल से एक जोड़ी प्लास्टिक की काले रंग की चप्पल और एक सफेद गमछा प्रदर्श पी-3 के माध्यम से जब्त की गई। **घटनास्थल का पंचनामा** (प्रदर्श पी-4) तैयार किया गया। विवेचना अधिकारी ने **नजरी नक्शा** (प्रदर्श पी-5) तैयार किया। पटवारी प्रमोद टंडन (अ.सा-14) ने भी नजरी नक्शा (प्रदर्श पी-9) तैयार किया। जब्त की गई बंदूक को परीक्षण के लिए **केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला**, चंडीगढ़ भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (रिपोर्ट) (प्रदर्श पी-27) प्राप्त हुई। प्रदर्श पी-27 में यह मत व्यक्त किया गया कि रासायनिक परीक्षण के लिए 'ए' अंकित **एस.बी.एम.एल. बंदूक** के 'बैरल स्वाब' और 'बैरल वॉश' लिए गए थे। रासायनिक परीक्षण करने पर, गोली चलने के अवशेष पाए गए। केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के **सहायक निदेशक (बैलिस्टिक)** इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एस.बी.एम.एल. बंदूक जिसे 'ए'के रूप में अंकित किया गया है से गोली चलाई गई थी। उन्होंने आगे यह मत व्यक्त किया कि एस.बी.एम.एल. बंदूक जिसे 'ए'के रूप में अंकित किया गया है कार्यशील स्थिति में थी तथा संदर्भित अनियमित तथा विकृत/विरूपित छर्रों के सात टुकड़े, बन्दूक से चले हुए छर्रे थे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी** बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को **सत्र न्यायालय**, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया, जहाँ से यह मामला नवम **अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.)**, बिलासपुर को अंतरण पर प्राप्त हुआ, जिन्होंने मामले का विचारण किया तथा अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया एवं दंडादेश दिया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम कुमार तिवारी ने तर्क दिया कि रामबती (अ. सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5), श्यामलाल (अ.सा-6), मेलाराम (अ.सा-7) और बद्रीकाबाई (अ.सा-9) आपस में रिश्तेदार हैं और वे अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं। उनके साक्ष्य में कई विरोधाभास और लोप हैं। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपीलार्थी दोषमुक्त किये जाने का हक़दार है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र विचारण क्रमांक 384/2005 के अभिलेखों का परिशीलन किया है।अपीलार्थी की दोषसिद्धि रामबती (अ.सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5), श्यामलाल (अ.सा-6), मेलाराम (अ.सा-7) और बद्रीकाबाई (अ.सा-9) के साक्ष्य पर आधारित है।

नातेदार और हितबद्ध साक्षियों का साक्ष्य:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. **रंजीत सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 255** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

> 17. .... भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, किसी एक साक्षी द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधे दर्जन साक्षियों द्वारा दिया गया साक्ष्य, जो विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि को स्थिर रखे जाने हेतु पर्याप्त नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सत्य है; परंतु जहाँ किसी दांडिक न्यायालय को बड़ी संख्या में अपराधियों और बड़ी संख्या में पीड़ितों से जुड़े अपराध के घटित होने से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करना होता है, वहाँ सामान्यतः यह परीक्षण अपनाना उचित होता है कि दोषसिद्धि तभी स्थिर रखी जा सकती है जब वह दो या तीन या अधिक साक्षियों द्वारा समर्थित हो, जो घटना का एक सुसंगत विवरण देते हों। एक अर्थ में, इस परीक्षण को 'यंत्रवत' कहा जा सकता है; परंतु यह समझना कठिन है कि इसे तर्कहीन या अनुचित कैसे माना जा सकता है।"
>
> "18**. मुथु नायकर एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य,** ए.आई.आर **1978** एस .सी **1647** के मामले में, इस न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए कहा

कि ऐसी स्थिति में जहाँ किसी साक्षी पर कई व्यक्तियों से मिलकर गठित विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा हमला किया गया हो, वहां न्यायालय को ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता के प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। जहाँ न्यायालय का यह मत हो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ऐसे साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है, तब उसे स्वीकार करने से पूर्व न्यायालय को इस बात पर जोर देना चाहिए कि ऐसे साक्ष्य की पुष्टि एक या अधिक अन्य साक्षियों द्वारा की जाए।

19. .... "साक्ष्य का ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक साक्षियों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या किसी विशेष अभियुक्त की पहचान विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में न कर ले, तब तक कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। यह एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है कि साक्ष्य की गिनती नहीं की जाती बल्कि उसे तौला जाता है, यह साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है जो महत्व रखती है। यहाँ तक कि एक अकेले साक्षी का कथन भी, यदि वह पूर्णतः विश्वसनीय है, किसी अभियुक्त की पहचान विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी, जब विधिविरुद्ध जमाव का आकार काफी बड़ा हो (जैसा कि इस मामले में है) और कई व्यक्तियों ने घटना देखी हो............."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. तक़दीर शमसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर **2012** एस.सी **37** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

"10. xxxxx xxxxx xxxxx

(i) xxxxx xxxxx xxxxx

(ii) इस न्यायालय ने निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि एक सामान्य नियम के रूप में न्यायालय किसी एकल साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर निर्णय दे सकता है, बशर्ते वह पूर्णतः विश्वसनीय हो। किसी व्यक्ति को केवल एक ही साक्षी के अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यही **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134** का तर्क है। परंतु यदि अभिसाक्ष्य के बारे में कोई संदेह हो, तो न्यायालय इसकी पुष्टि पर जोर देगा। वास्तव

में, साक्ष्यों की संख्या या मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। चिर-प्रचलित मान्य सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए अर्थात उसके महत्त्व पर विचार करना चाहिये, उसे गिनना नहीं चाहिये। परीक्षण इस बात का है कि क्या साक्ष्य पूर्ण रूप से सत्य है, क्या वह तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं। विधिक प्रणाली ने साक्ष्यों की संख्या, बहुलता या प्रचुरता के बजाय उनके मूल्य, भार और गुणवत्ता पर जोर दिया है। इसलिए, एक सक्षम न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला है कि वह पूर्ण रूप से एक **एकमात्र साक्षी** पर भरोसा करे और दोषसिद्धि दर्ज करे। इसके विपरीत, यदि न्यायालय साक्ष्य की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, तो वह कई साक्ष्यों के होने के बावजूद अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है।

8. ब्रह्म स्वरूप एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**,** ए**.**आई**.**आर **2011** एस**.**सी **280** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. मात्र इस आधार पर कि साक्षी मृतक व्यक्तियों के निकट संबंधी थे, उनके बयानों को त्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी एक पक्ष के साथ उनका संबंध साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है; और भी महत्वपूर्ण यह है कि एक संबंध वास्तविक अपराधी को छिपाएगा नहीं और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। किसी पक्ष को झूठे फँसाये जाने के संबंध में एक तथ्यात्मक आधार तैयार करना होता है और त्रुटिहीन साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सिद्ध करना होता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए करना चाहिए कि क्या वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य है। ...."

9. बद्रीकाबाई (अ.सा-9) ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उससे 'चूड़ी' प्रथा से विवाह किया था। वह मृतक चंदलाल की बहन है। श्रीमती सुमित्राबाई अपीलार्थी की पहली पत्नी है और वह अपीलार्थी के साथ रहती थी। अपीलार्थी ने उस घर में ताला लगा दिया था जिसमें वह (बद्रीकाबाई) रह रही थी। उसने अपने और अपीलार्थी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई थी। दिनांक 19-8-2005 को लगभग शाम 5 बजे, उसने अपने घर का

ताला खोला और अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। अपीलार्थी वहाँ आया और उसने उसके तथा मृतक के साथ गाली गलौज किया। बद्रीकाबाई (अ.सा-9) ने थाना सीपत में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उसे उसके भाई (मृतक) को बुलाने के लिए कहा था। डर के कारण उसने मृतक को नहीं बुलाया।

10. रामबती (अ.सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5), श्यामलाल (अ.सा-6) और बद्रीकाबाई (अ.सा-9) ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 19-08-2005 को रात्रि लगभग 9:20 बजे, मृतक और उसकी पत्नी रामबती (अ.सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5) तथा श्यामलाल (अ.सा-6), मृतक के घर पर रात्रि भोज करने के पश्चात घर से बाहर निकल रहे थे। अपीलार्थी ने मृतक पर अपनी भरमार बंदूक से गोली चला दी। अपीलार्थी द्वारा अपनी बंदूक से गोली चलाए जाने के कारण मृतक नीचे गिर गया। मृतक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीपत ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। भागवत प्रसाद (अ.सा-5) ने साक्ष्य दिया कि उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-8) और मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-7) दर्ज कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मेलाराम (अ.सा-7) और लालमन (अ.सा-8) ने साक्ष्य दिया कि वे बंदूक चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुँचे थे। उन्होंने देखा कि अपीलार्थी वहाँ बंदूक लेकर खड़ा था। उन्होंने आगे कथन किया कि उन्हें देखते ही अपीलार्थी वहाँ से भाग गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि मृतक के सीने के दाहिने भाग पर बंदूक की गोली की चोट आई थी।

12. डॉ. राजेश कुमार (अ.सा-13) ने कथन किया कि उन्होंने मृतक का शव परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-16) दिया, जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर बंदूक के छर्रों की चोटें पाईं। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि मृत्यु का कारण सीने और पेट में बंदूक की गोली (अग्न्यायुध) की चोटों के परिणामस्वरूप हुआ आघात (शॉक) और रक्तस्राव था तथा मृत्यु की प्रकृति **मानव वध** थी।

13. सहायक उप-निरीक्षक आई.एन. सिंह (अ.सा-15) ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने दिनांक 21-08-2005 को प्रदर्श पी-1 के माध्यम से अपीलार्थी का **मेमोरेंडम कथन** अभिलिखित किया और

अपीलार्थी की निशानदेही पर, उसके पास से एक भरमार बंदूक प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जब्त किया। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि उन्होंने परीक्षण के लिए भरमार बंदूक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था। वहाँ से रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) प्राप्त हुआ। मेमोरेंडम और जब्ती के **स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही** हो गए और उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया। ए.एस.आई. आई.एन. सिंह (अ.सा-15) के साक्ष्य में कोई त्रुटि (दोष) नहीं है। वर्तमान मामले में, भरमार बंदूक की जब्ती के संबंध में ए.एस.आई. आई.एन. सिंह का साक्ष्य **ठोस** और विश्वसनीय है।

14. अपीलार्थी के कब्जे से जब्त की गई भरमार बंदूक का उसके पास एक वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) था। **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा** 313 के तहत एफ.एस.एल. की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) के संबंध में पूछताछ किए जाने पर, अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। प्रदर्श पी-27 **दंड प्रक्रिया संहिता की धारा** 293 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है। प्रदर्श पी-27 में यह मत दिया गया है कि एस.बी.एम.एल. बंदूक जिसे'ए'के रूप में अंकित किया गया है उसके 'बैरल स्वाब' और 'बैरल वॉश' रासायनिक परीक्षण के लिए गए थे। रासायनिक परीक्षण पर, गोली चलने के अवशेष पाए गए थे। अतः, केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक (बैलिस्टिक) इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एस.बी.एम.एल. बंदूक जिसे'ए'के रूप में अंकित किया गया है, से गोली चलाई गई थी। आगे यह मत दिया गया कि एस.बी.एम.एल. बंदूक जिसे ए'के रूप में अंकित किया गया है कार्यशील स्थिति में था और संदर्भित अनियमित तथा विकृत/विरूपित छर्रों के सात टुकड़े, चले हुए छर्रे थे।

15. जहाँ तक विरोधाभासों का प्रश्न है, तुच्छ मामलों पर मामूली विरोधाभास, विसंगतियाँ, अतिरंजना या सुधार, जो अभियोजन के प्रकरण के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित नहीं करते हैं, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकते। पुलिस को दिए गए बयानों और न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य के बीच मामूली भिन्नता अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं होती है। वर्तमान मामले में, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में आए विरोधाभास तुच्छ हैं और अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. हमने रामबती (अ.सा-1), भागवत प्रसाद (अ.सा-5), श्यामलाल (अ.सा-6) और बद्रीकाबाई (अ.सा-9) के साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। इन साक्षियों ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया है कि उस घटना वाले दिन, अपीलार्थी ने अपनी भरमार बंदूक से मृतक पर गोली चलाई थी। उनके साक्ष्य की विधिवत पुष्टि मेलाराम (अ.सा-7) और लालमन (अ.सा-8) के साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य और एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी-27) द्वारा होती है। चिकित्सीय साक्ष्य से, हम पाते हैं कि मृतक की मृत्यु सीने और पेट में बंदूक की गोली (अग्न्यायुध) की चोटों के परिणामस्वरूप हुए शॉक आघात (शॉक) और रक्तस्राव के कारण हुई थी और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

17. हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित किए गए इस निष्कर्ष में कि वह अपीलार्थी ही था जिसने मृतक के शरीर पर बंदूक की गोली से चोट कारित किया था और मृतक की मृत्यु अपीलार्थी द्वारा कारित उसी चोट के कारण हुई थी, कोई त्रुटि (दोष) नहीं मिलता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है। तदनुसार, यह अपील असफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

सही/-	सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)	**(राधेश्याम शर्मा)**
न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

अनुवादकर्ता - उत्तरा श्रीवास्तव, अधिवक्ता